



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072022-237413
CG-DL-E-21072022-237413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3108]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

का.आ. 3268(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मेघालया राज्य में कुदरती गैस शिलांग सीडीजी स्पर लाइन पाइपलाइन पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, मेसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, मेघालया को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
सी. डी. ब्लोक : मौर्यग कर्नेग		जिला : इस्ट खासी हील्स	राज्य : मेघालया		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	डीएंगपासोह जरोइत	अस1 / 001	00	01	14
		अस1 / 002	00	02	32
		अस1 / 003	00	41	94
		नाला	00	01	44
		अस1 / 004	00	35	11
		अस1 / 005	00	13	67
		अस1 / 006	00	15	98
		अस1 / 007	00	00	70
		अस1 / 008	00	24	53
		अस2 / 009अ	00	01	20
		अस2 / 009ब	00	02	24
		अस2 / 009क	00	01	64
		पक्का रास्ता	00	01	79
		अस2 / 0010अ	00	01	20
		अस2 / 0010ब	00	02	36
		अस2 / 0010क	00	01	57
		अस2 / 011	00	19	87
		अस2 / 012	00	16	66
		अस2 / 013	00	20	47
		अस2 / 014	00	16	65
		अस2 / 015	00	47	97
		अस2 / 016	00	38	68
		अस3 / 017	00	01	90
		अस3 / 018	00	20	65
		अस3 / 019	00	18	35
		अस3 / 020	00	14	86
		अस3 / 021	00	03	80
		अस3 / 022	00	31	82
		अस3 / 023	00	20	16
		अस3 / 024	00	11	60
		अस3 / 025	00	05	37
		कच्चा रास्ता	00	01	62
		टेस4 / 026	00	49	19
		कच्चा रास्ता	00	00	10
		अस4 / 027	00	01	13
		कच्चा रास्ता	00	03	87
		अस4 / 028	00	14	94
		अस4 / 029	00	32	39

उम्मिर नदी	00	07	46
अस4 / 030	00	33	12
अस4 / 031	00	08	44
अस4 / 032	00	24	11
अस4 / 033	00	13	22
अस4 / 034	00	08	17
कच्चा रास्ता	00	04	70

[फा. सं. एल- 14014/154/2022जीपी-II(ई-43600)]

राकेश मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2022

S.O. 3268(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas **Shillong CGD Spur line** Pipeline should be laid by Indradhanush Gas Grid Limited. And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s. Indradhanush Gas Grid Limited, State of Meghalaya.

SCHEDULE					
C.D. Block : Mawryng kneng		District:- East Khasi Hills	State :- Meghalaya		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
1	2	3	Hectare	Are	Sq.mtr.
1	Diengpasoh Jaroit	S1/001	00	01	14
		S1/002	00	02	32
		S1/003	00	41	94
		Nala	00	01	44
		S1/004	00	35	11
		S1/005	00	13	67
		S1/006	00	15	98
		S1/007	00	00	70
		S1/008	00	24	53
		S2/009A	00	01	20
		S2/009B	00	02	24
		S2/009C	00	01	64
		Asp. Road	00	01	79

S2/0010A	00	01	20
S2/0010B	00	02	36
S2/0010C	00	01	57
S2/011	00	19	87
S2/012	00	16	66
S2/013	00	20	47
S2/014	00	16	65
S2/015	00	47	97
S2/016	00	38	68
S3/017	00	01	90
S3/018	00	20	65
S3/019	00	18	35
S3/020	00	14	86
S3/021	00	03	80
S3/022	00	31	82
S3/023	00	20	16
S3/024	00	11	60
S3/025	00	05	37
Cart Track	00	01	62
S4/026	00	49	19
Cart Track	00	00	10
S4/027	00	01	13
Cart Track	00	03	87
S4/028	00	14	94
S4/029	00	32	39
UMMIR RIVER	00	07	46
S4/030	00	33	12
S4/031	00	08	44
S4/032	00	24	11
S4/033	00	13	22
S4/034	00	08	17
Cart Track	00	04	70

[F. No. L-14014/154/2022-GP-II(E-43600)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.